बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

पटना, दिनांक–.....

संचिका सं0–8बी/अरा0आ0नि0–22/2026 ...2427/– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि शाखा, भागलपुर का पत्रांक–1619, दिनांक–16.04.2026 द्वारा कोतवाली (जोगसर) कांड संख्या–60/24, दिनांक–22.01.2024 धारा 420/467/468/34 आई0पी0सी0 में अभियुक्त श्री मनीष कुमार गौरव, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

2. जोगसर थाना में वादिनी श्रीमती गीता देवी, जिला–भागलपुर के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिक नामजद अभियुक्त श्री मनीष कुमार गौरव, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर के विरूद्ध षड्यंत्र के तहत् वादिनी के जगह पर किसी महिला को प्रतिरूपण स्वरूप खड़ा कर वादिनी के संभी उंगलियों का जाली टिप निशान एवं जाली फोटो लेकर कमीशन कर रजिस्ट्री केवाला निष्पादित करने एवं बेईमानी से उत्प्रेरित कर संपत्ति को अपने नाम कर लेने के आरोप प्रतिवेदित कराया गया है। कांड के अनुसंधानकर्त्ता एवं वरीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह कांड धारा 420/467/468/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिक नामजद अभियुक्त श्री मनीष कुमार गौरव, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर एवं अप्राथमिकी अभियुक्त गीता देवी (वादिनी का प्रतिरूपण महिला) के विरूद्ध सत्य पाया गया है।

3. अतएव कोतवाली (जोगसर) कांड संख्या–60/24, दिनांक–22.01.2024 धारा 420/467/468/34 आई0पी0सी0 में अभियुक्त श्री मनीष कुमार गौरव, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–8बी/अरा0आ0नि0–22/2026 ...2427... पटना, दिनांकः–...30.04.26...

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/ वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि शाखा, भागलपुर/समाहर्त्ता, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पु0अ0नि0 जोगसर थाना, भागलपुर/जिला अवर निबंधक, भागलपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ श्री मनीष कुमार गौरव, उच्चवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/4/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

30/4/26